यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** के माह 01/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम नौटियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सन्तोष गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21-02-2019 से 25-02-2019 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अरविंद कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 02.02.2017 तक में श्री डी॰ एन॰ मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** का मुख्य कार्यकलाप नैनीताल जनपद के लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ब) **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त नैनीताल है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-) (समर्पण)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	----	----	292.91	244.33	--	--	--	48.58
2016-17			279.04	277.67	--	--	--	1.37
2017-18	----	----	670.75	655.81	--	--	--	14.94
2018-19 (up to 01/2019)			333.63	251.49	--	--	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

योजना का नाम	**वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
एनएचएम	2015-16	14.69	36.69	31.98		19.40
एनएचएम	2016-17	19.40	52.01	51.87		19.54
एनएचएम	2017-18	19.54	56.44	53.06		22.92
एनएचएम	2018-19 (upto 01/2018)	22.92	63.13	44.16		--

(ii) इकाई को बजट कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर- 1: धनराशि रु0 7.24 लाख से अधिक के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्री एवं एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नहीं किये जाने के कारण मूल्य मे निरन्तर ह्रास होना।

समान्य वित्तीय नियम के **Rule 218** Modes of Disposal. (I) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : **(a)** obtaining bids through advertised tender or **(b)** public auction. तथा

Rule 221 Disposal at scrap value or by other modes. If a Ministry or Department is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item in spite of its attempts through advertised tender or auction, it may dispose of the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with Finance division. In case the Ministry or Department is unable to sell the item even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the item in an eco-friendly manner. तथा

वाहन हेतु **उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003** के अनुसार निष्प्रोजय वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाए ।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है।ऐसा करने की स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा**पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार**

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रयोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल के अवधि 01/2017 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामाग्री से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2005 से 2018 तक विभिन्न वर्षों मे उपकरण/समग्रियाँ, धनराशि रु0 6.95 लाख से अधिक के निष्प्रयोज्य/अप्रयुक्त पड़े हुये थे । जिसमे से 03 सामाग्रीयों **(सूची संलग्न)** का पुस्तकीय मूल्य अंकित नहीं था। अप्रयुक्त उपकरण/ सामग्रियों को वर्ष 2005 से लेकर 2018 तक विभिन्न वर्षों मे निष्प्रोज्य घोषित किया गया था। परन्तु वर्तमान (02/2019) तक नीलामी नहीं की गयी थी ।

इसके अलावा 01 वाहन (मारुति ओमनी वैन, रोगी वाहन) वर्ष 2009 से आफ रोड/निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ था। जिसका न्यूनतम मूल्य आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के द्वार नीलामी हेतु दिनांक 29-09-

2014 को **धनराशि रु0 28998/-** निर्धारित किया गया था। इसकी वर्तमान (02/2019) तक नीलामी नहीं कि गयी थी ।

जी0एफ़0आर0 के उक्त नियमानुसार Ministry/Department लिए स्पष्ट निर्देशित था कि दो लाख से अधिक के निष्प्रयोज्य सामग्रियों / उपकरण को advertised tender or public auction के द्वारा नीलामी की जानी थी। यदि advertised tender or public auction के बाद भी नीलामी सम्भव न हो तो Ministry/Department निष्प्रयोज्य सामग्रियों/उपकरण को उसकी scrap value पर Finance division की सहमति तथा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृती से नीलामी कर सकती थी। इस प्रकार का इकाई के द्वारा कोई प्रयास लेखापरीक्षा मे नहीं पाया गया था।

इसके अलावा मे 01 वाहन टाटा सूमों गोल्ड UK04-GA-0056 वर्ष 2008 से निष्प्रोज्य पड़ा हुआ था, जिनकी नियमानुसार निष्प्रोज्य होने के तुरंत 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी तथा वाहन के लिए यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती थी।

इकाई के द्वारा निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों तथा वाहन की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप कुल **धनराशि रु0 7.24 लाख** के उक्त निष्प्रोज्य उपकरण/सामग्रियों तथा वाहन के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त निष्प्रोज्य उपकरण/सामग्रियों तथा वाहन के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि वर्ष 2016 मे नीलामी हेतु प्रयास किया गया था, परन्तु नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। पुन: प्रचार प्रसार कर निष्प्रयोज्य सामाग्री तथा वाहन की नीलामी शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य था, चूंकि उपरोक्त नियमानुसार समय रहते निष्प्रयोज्य सामाग्री तथा वाहन की नीलामी नहीं की गयी थी।

अत: धनराशि रु0 7.24 लाख से अधिक के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्री एवं एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नहीं किये जाने के कारण मूल्य मे निरन्तर ह्रास होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 26.28 लाख के अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 मे प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती माहिलाओ को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों मे संस्थागत प्रसव कराने पर माहिलाओ को प्रोत्साहन राशि के रूप मे ग्रामीण क्षेत्र मे रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र मे रु 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए . योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार (i) प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे॰एस॰वाई॰ कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजो सहित उसे प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केंद्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र मे रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव के सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आशाओ को नगद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों मे दी जाएगी, जिसमे प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज के पश्चात दी जाएगी वशर्ते संबन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केंद्र मे प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह के पश्चात दी जाएगी जब बी॰सी॰जी॰ वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओ के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण मे सहायता की हो। कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि केंद्र मे वर्ष 2015-16 से 01/2019 तक कुल 3924 संस्थागत प्रसव (1284 ग्रामीण तथा 2640 शहरी) हुये, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1000 की दर से 3924 लाभार्थियो को 26.28 लाख का भुगतान किया गया।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि 2015-16 से 01/2019 तक की अवधि मे जननी सुरक्षा के प्रत्येक मामले मे JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद चिकित्साधिकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाण पत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडो के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। दिशा-निर्देश के अनुसार प्रसव के सात दिन पश्चात किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा, जांच मे पाया गया कि सभी भुगतान 7 दिन पश्चात किए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी ने आपत्ति स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि लाभार्थी द्वारा अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही भुगतान किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थी प्रसव के दौरान ही चिकित्सालय मे सभी औपचरिकताए पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी, भुगतान करते समय दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 26.28 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2: त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल, इकाई का मूल कार्य चिकित्सालय मे आई समस्त रोगियों को प्राथमिक एवं दित्तीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का अनुश्रवन एवं मूल्यांकन करना है। जनपद नैनीताल मे 53 शय्या-युक्त जिला महिला चिकित्सालय स्थापित है। किसी भी स्वास्थ संस्थान के सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक संससाधनों (यथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती, स्वास्थ संस्थान की आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय उपकरण एवं संयंत्र तथा उसके संचालन के लिए तकनीशियन की तैनाती आवश्यक है होती है) की आवश्यकता होती है, बिना आवश्यक संसाधनों के चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल, के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जिला महिला चिकित्सालय हेतु विभिन्न संवर्ग के 46 पद स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 32 पदों पर तैनाती थी तथा 15 पद रिक्त थे, तथा कनिष्ठ सहायक पद पर 02 कर्मचारी बिना स्वीकृत के तैनाती थी। **(विस्तृत विवरण संलग्न)** उक्त के अतिरिक्त 6 वार्ड आया एवं एक 01 आई॰एम॰ओ आउटसोर्सिंग पर कार्यरत थे।

ओ॰पी॰डी॰ पंजिका की जांच मे पाया गया कि जिला महिला चिकित्सालय नैनीताल मे अन्तः एवं वाह्य रोगियों की संख्या अत्याधिक थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीतालकार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 46 पदो के सापेक्ष 32 पदो पर तैनाती हुई थी और 15 पद (32.60%) रिक्त थे। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं शासकीय योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया है कि कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ के पद रिक्त होने के कारण चिकित्सा सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं इस संबंध मे शासन/निदेशक स्तर पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
2004-05	1	1	-
117/2012-13	-	1,2	1,2
155/ 2016-17	-	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	----------	अप्रस्तुत --------		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी. डी. पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ विनीता साह	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	04.08.12 से 07.05.18
2	डा॰ वी॰ के॰ पुनेरा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	08.05.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला (महिला) चिकित्सालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.